कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 356/2026 **दिनांक- 11.09.2026**

थाना–बरदह, जनपद–आजमगढ़

शादी के नाम पर लोगों को झांसा देकर ठगी करने वाले संगठित गिरोह का बरदह पुलिस ने किया पर्दाफाश, 07 अभियुक्त गिरफ्तार

दुल्हन, पिता, भाई व रिश्तेदार बनकर रचते थे फर्जी शादी का ड्रामा, रुपये-जेवर लेकर लड़के पक्ष को धमकाकर हो जाते थे फरार

19,650/- रुपये नगद, पायल, मंगलसूत्र, कान के झुमके, नाक की कील, साड़ी व अन्य सामान समेत घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 09.09.2026 को वादी रामबिलाश पुत्र मोती निवासी ग्राम छिबरामऊ, थाना बिलग्राम, जनपद हरदोई द्वारा थाना बरदह पर सूचना दी गयी कि वह अपने पुत्र राजकुमार की शादी कराने हेतु अपने रिश्तेदार राजेश कुमार कन्नौजिया एवं अन्य लोगों के साथ बंधवा महादेव मंदिर, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ आया था। मनोज नामक व्यक्ति द्वारा व्हाट्सऐप पर लड़की का फोटो भेजकर शादी के लिए बुलाया गया था। दिनांक 09.09.2026 को बंधवा महादेव मंदिर पर उक्त लड़की से राजकुमार की शादी करायी गयी। शादी के दौरान लड़की को एक नाक की कील एवं 80,000/- रुपये नगद दिये गये। शादी के बाद जब लड़का लड़की को लेकर घर जा रहा था, तभी बंधवा मोड़ के पास लड़की के कथित पिता, भाई एवं मनोज द्वारा लड़के को गाड़ी से उतारकर लड़की तथा रुपये लेकर फरार हो गये। उक्त सूचना के आधार पर **थाना बरदह पर मु0अ0सं0 301/2026 धारा 319(2)/318(4) बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी एवं घटना का अनावरण–

दिनांक 11.09.2026 को उ0नि0 मनीष सिंह मय पुलिस टीम के कमालपुर चौराहा पर मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 09.09.2026 को बंधवा महादेव मंदिर पर बाहरी लोगों को झांसा देकर शादी कराने एवं स्वांग रचकर बेईमानी से रुपये हड़पने वाले अभियुक्तगण कोदहरा चौराहा पर एकत्र होकर आपस में बातचीत कर रहे हैं तथा कहीं भागने की फिराक में हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम द्वारा तत्काल कोदहरा चौराहा पहुंचकर घेराबंदी की गयी। मौके पर दो मोटरसाइकिलों के पास खड़े पांच पुरुष एवं दो महिलाओं को पकड़ लिया गया। जामा तलाशी के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से नगदी, मोबाइल फोन, आभूषण एवं कपड़े बरामद हुए।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे सभी एक संगठित गिरोह के रूप में कार्य करते हैं। गिरोह के सदस्य ऐसे लोगों की तलाश करते थे जिनकी शादी नहीं हो रही होती थी। इसके बाद गिरोह की महिला सदस्य का फोटो दिखाकर शादी तय करायी जाती थी। शादी के लिए मंदिर पर बुलाकर गिरोह के अन्य सदस्य लड़की के पिता, भाई एवं रिश्तेदार बनकर लड़के पक्ष का विश्वास जीतते थे। शादी के दौरान रुपये, आभूषण एवं कपड़े प्राप्त करने के बाद विवाद एवं मारपीट कर लड़के पक्ष को डराया-धमकाया जाता था तथा फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर उन्हें वहां से भगा दिया जाता था। इसके बाद ठगी से प्राप्त रुपये एवं सामान को गिरोह के सदस्य आपस में बांट लेते थे।

➡ उक्त घटना में करीना गौतम दुल्हन बनी थी। बजरंगी बिन्द एवं बहादुर उर्फ राजू द्वारा दुल्हन के भाई तथा राजन विश्वकर्मा द्वारा दुल्हन के पिता की भूमिका निभायी गयी थी। रामबिलाश एवं जय किशन उर्फ अजीत द्वारा दुल्हन के रिश्तेदार बनकर फर्जी शादी में शामिल होना बताया गया है।

➡ बरामद आभूषण एवं अन्य सामान के संबंध में वादी मुकदमा को मौके पर बुलाकर पहचान करायी गयी। वादी द्वारा एक जोड़ी पायल, नाक की कील, कपड़े एवं रुपये को अपना बताया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 111(2)(II), 317(4), 115(2), 351(3), 352 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी है। दोनों मोटरसाइकिलों को धारा 207 एमवी एक्ट के अन्तर्गत सीज किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

01. *बजरंगी बिन्द* पुत्र नन्दलाल बिन्द, निवासी ग्राम मलहज, शाहगंज, जनपद जौनपुर, उम्र करीब 31 वर्ष।

02. *राजन विश्वकर्मा* पुत्र रामचन्दर विश्वकर्मा, निवासी रोचनपुर, थाना सराय ख्वाजा, जनपद जौनपुर, उम्र करीब 46 वर्ष।

03. *बहादुर उर्फ राजू* पुत्र झूलन राम, निवासी ग्राम जमालपुर, थाना सराय ख्वाजा, जनपद जौनपुर, उम्र करीब 27 वर्ष।

04. *रामबिलाश* पुत्र रामनरेश, निवासी ग्राम मलहज, थाना शाहगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 50 वर्ष।

05. *जय किशन उर्फ अजीत* पुत्र इन्द्रराज, निवासी पाण्डेय उर्फ पुरुषोत्तम, थाना लाइन बाजार, जनपद जौनपुर, उम्र करीब 23 वर्ष।

06. *करीना गौतम* पत्नी शिवकुमार पुत्र रामफेर, ससुराल ग्राम देवकलपुर, थाना गौरा बादशाहपुर, जनपद जौनपुर, हाल पता ग्राम समोधीपुर, गौरा बादशाहपुर, जनपद जौनपुर, उम्र करीब 20 वर्ष।

07. *माधुरी* पत्नी रिंकू, निवासी ग्राम जासोपुर, थाना सराय ख्वाजा, जनपद जौनपुर, उम्र करीब 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरण–

1. **19,650/-** रुपये नगद।
2. एक जोड़ी पायल।
3. एक अदद मंगलसूत्र।
4. एक जोड़ी कान का झुमका।
5. एक अदद नाक की कील।
6. एक अदद सिन्दूर की डिब्बी।
7. दो अदद साड़ी।
8. एक जोड़ी पैंट-शर्ट का कपड़ा।
9. घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोटरसाइकिल।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 301/2026 धारा 319(2), 318(4), 111(2)(II), 317(4), 115(2), 351(3), 352 बीएनएस, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

विस्तृत आपराधिक इतिहास–

अभियुक्त बजरंगी बिन्द पुत्र नन्दलाल बिन्द

1. मु0अ0सं0 932/2014, धारा 406 भादवि, थाना शाहगंज, जनपद जौनपुर।
2. मु0अ0सं0 55/2025, धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट, थाना एकौना, जनपद देवरिया।
3. मु0अ0सं0 51/2025, धारा 316(2), 318(4) बीएनएस, थाना खेतासराय, जनपद जौनपुर।
4. मु0अ0सं0 279/2026, धारा 316(2), 318(4) बीएनएस, थाना शाहगंज, जनपद जौनपुर।
5. मु0अ0सं0 301/2026, धारा 319(2), 318(4), 111(2)(II), 317(4), 115(2), 351(3), 352 बीएनएस, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

अभियुक्त जय किशन उर्फ अजीत पुत्र इन्द्रराज

1. मु0अ0सं0 271/2024, धारा 115(2), 351(2) बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद जौनपुर।
2. मु0अ0सं0 63/2026, धारा 317(2), 318(4), 319(2) बीएनएस, थाना सरायख्वाजा, जनपद जौनपुर।
3. मु0अ0सं0 262/2026, धारा 115(2), 309(6), 317(2), 318(4), 351(3) बीएनएस, थाना सरायख्वाजा, जनपद जौनपुर।
4. मु0अ0सं0 301/2026, धारा 319(2), 318(4), 111(2)(II), 317(4), 115(2), 351(3), 352 बीएनएस, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 मनीष सिंह, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
2. हे0का0 उपेन्द्र कुमार, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
3. का0 सतिभान सिंह, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
4. का0 विद्याकान्त, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
5. का0 ललित सरोज, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
6. रि0आ0 मुकेश यादव, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
7. रि0आ0 योगेश कुमार दुबे, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
8. रि0म0आ0 रिद्धिमा, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

थाना–कप्तानगंज, जनपद–आजमगढ़

□ दिव्यांग व्यक्ति को अगवा कर बंधक बनाने एवं जमीन का बैनामा कराने वाले गैंग पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, 01 गिरफ्तार

□ गैंगलीडर जयप्रकाश यादव उर्फ गोलई को कप्तानगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार

घटना का विवरण-

दिनांक 10.09.2026 को थानाध्यक्ष कप्तानगंज द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के अनुमोदन के उपरान्त थाना कप्तानगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 41/2026 धारा 127(2), 140(1), 351(3), 352 बीएनएस व धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित अभियुक्तों द्वारा गैंग बनाकर आपराधिक कृत्य किये जाने के संबंध में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गयी।

अभियुक्तों द्वारा लकवा ग्रस्त दिव्यांग विष्णु यादव को जबरन गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले जाकर बंधक बनाया गया तथा जान से मारने का भय दिखाकर उसका आधार कार्ड ले लिया गया। इसके बाद करीब 08 बिस्वा जमीन का बैनामा करा लिया गया। उक्त संगठित गिरोह के गैंगलीडर जयप्रकाश यादव उर्फ गोलई तथा सदस्य गुड्डू यादव के विरुद्ध थाना कप्तानगंज पर *मु0अ0सं0 279/2026 धारा 2(ख)(i)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम-1986* पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 11.09.2026 को व0उ0नि0 गंगाराम बिन्द मय पुलिस टीम क्षेत्र में वांछित अभियुक्तों की तलाश में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त जयप्रकाश यादव उर्फ गोलई जेहरा पिपरी मोड़ पर मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गयी। पुलिस को देखकर अभियुक्त भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया।

पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम *जयप्रकाश यादव उर्फ गोलई पुत्र सल्टन यादव निवासी छाता का पुरा, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 53 वर्ष* बताया। अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

जयप्रकाश यादव उर्फ गोलई पुत्र सल्टन यादव, निवासी छाता का पुरा, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 53 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 279/2026 धारा 2(ख)(i)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम-1986, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त जयप्रकाश यादव उर्फ गोलई के विरुद्ध थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़ में कुल 04 अभियोग पंजीकृत हैं, जिनमें मारपीट, बलवा, गाली-गलौज, धमकी, महिला से अभद्रता, बंधक बनाने/जमीन संबंधी अपराध एवं गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियोग शामिल हैं।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 गंगाराम बिन्द, थाना कप्तानगंज।
2. उ0नि0 अमन तिवारी, थाना कप्तानगंज।
3. का0 लोकेश पाण्डेय, थाना कप्तानगंज।
4. का0 अप्पू कुमार, थाना कप्तानगंज।

जनपद–आजमगढ़

☐ शादी का झांसा देकर शोषण करने वाले 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

☐ निजामाबाद एवं मेंहनगर पुलिस की कार्रवाई, दोनों अभियुक्त भेजे गये न्यायालय

थाना निजामाबाद-

पीड़िता की तहरीर पर अभियुक्त विजय प्रकाश सोनकर पुत्र स्व0 जुल्मी सोनकर निवासी पूनापोखर, थाना सरायमीर के विरुद्ध करीब 06 वर्षों से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने तथा शादी के लिए कहने पर धमकी देने के संबंध में *मु0अ0सं0 224/2026 धारा 69, 89, 351(3), 352 बीएनएस व धारा 5L/6 पॉक्सो एक्ट* पंजीकृत किया गया था। दिनांक *11.09.2026* को *उ0नि0 कमला प्रसाद मय हमराह हे0का0 हौसिला नन्द यादव व का0 कृष्ण चन्द्र* द्वारा वांछित अभियुक्त विजय प्रकाश सोनकर को *मुईया मोड़ के पास समय करीब 10:40* बजे गिरफ्तार किया गया।

थाना मेंहनगर-

दिनांक *10.09.2026* को वादिनी की तहरीर पर अभियुक्त अजीत उर्फ रुदल राजभर पुत्र नगीना राजभर निवासी पिलखुवा, थाना मेंहनगर के विरुद्ध शादी का झांसा देकर करीब 06 वर्षों तक शारीरिक शोषण करने तथा शादी से मुकरने पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में *मु0अ0सं0 313/2026 धारा 69, 352, 351(3) बीएनएस* पंजीकृत किया गया। दिनांक *11.09.2026* को *उ0नि0 रामगोपाल त्यागी मय हमराह का0 अब्दुल अहद* द्वारा वांछित अभियुक्त अजीत राजभर को *देवरिया मोड़ से समय करीब 11:00* बजे गिरफ्तार किया गया।

दोनों अभियुक्तों को नियमानुसार मा0 न्यायालय भेज दिया गया।

थाना–बरदह, जनपद–आजमगढ़

☐ साइबर फ्रॉड के 7 हजार रुपये बरदह पुलिस ने पीड़ित के खाते में वापस कराए

☐ साइबर हेल्प डेस्क टीम की त्वरित कार्रवाई, एमआरएम पोर्टल के माध्यम से कराई गई धनराशि की वापसी

आजमगढ़। थाना बरदह क्षेत्र के ग्राम बरसांवा निवासी प्रमोद कुमार राय पुत्र रामसमुक्ष राय के साथ दिनांक *29.10.2025* को फोन-पे के माध्यम से बिना जानकारी के *7,000 रुपये का साइबर फ्रॉड* किया गया था। पीड़ित द्वारा तत्काल दिनांक *30.10.2025* को साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर शिकायत संख्या *33110250150639* दर्ज कराई गई थी।

शिकायत का संज्ञान लेते हुए थाना बरदह की साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई तथा फ्रॉड की गई *7,000 रुपये की पूरी धनराशि को संबंधित बैंक खाते में होल्ड कराया गया।* इसके उपरांत आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए *एमआरएम (Money Restoration Module)* पोर्टल के माध्यम से धनराशि की वापसी की कार्रवाई की गई।

बरदह पुलिस की प्रभावी कार्रवाई के फलस्वरूप साइबर फ्रॉड की गई *7,000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि पीड़ित के बैंक खाते में वापस करा दी गई।* धनराशि वापस मिलने पर पीड़ित द्वारा पुलिस टीम का आभार व्यक्त किया गया।

पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार, थाना बरदह।

2. उ0नि0 मनीष सिंह, थाना बरदह।

3. म0आ0 आरती सिंह, थाना बरदह।